an>

Title: Need to release a commemorative Postage Stamp in honour of Dr. Gaya Prasad Katiyar, a noted freedom fighter.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान महान् क्रांतिकारी स्वर्गीय गया प्रसाद कटियार की ओर आकृÂष्ट कराना चाहती हूं जिन्हें 7 अक्टूबर, 1930 को अंग्रेजी हुकूमत ने प्रसिद्ध लाहौर Âषडयंत्र केस में आजीवन कारावास काला पानी की सजा सुनाई थी। इसी मुकदमे में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश और प्रदेश में शासन कर चुके विभिन्न राजनैतिक दलों, सरकारों और इतिहासकारों ने लगभग क्रांतिकारी योद्धा के योगदान और कुर्बानी को भुला दिया है इसीलिए उनकी जन्मस्थली ग्राम खजरी खुर्द, तहसील बिल्लौर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश और उनके मृत्यु स्थान ग्राम जगदीशपुर में ऐसा कोई भी प्रतीक चिह्न नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी कुर्बानियों की याद दिला सके। उनके दादा स्वर्गीय महादीन कटियार ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनकी कहानियां सुनकर डॉ. गया प्रसाद कटियार के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। 8 अप्रैल, 1929 में दिल्ली के संसद भवन में बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जिन बमों को फेंका था, उसका निर्माण भी डॉ. गया प्रसाद कटियार की देखरेख में हुआ था।

सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की तब सहारनपुर में बम फैक्टरी का संचालन करते हुए डाक्टर गया प्रसाद कटियार अपने अनेक साथियों के साथ गिरफ्तार किए गए और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर बर्बर अमानवीय सलूक करके उनसे उनके साथियों के राज उगलवाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने डॉ. कटियार और उनके साथियों पर एकतरफा मुकदमा चलाकर लाहौर Âषडयंत्र केस में आजीवन कारावास कालापानी की सजा सुना दी।

अध्यक्ष महोदया, यह केस विश्व का सर्वाधिक वर्णित केस रहा क्योंकि न्याय के नाम पर सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई। कुछ समय पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण केस की फाइलों को प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता के अवलोकनार्थ भी खोला था। गिरफ्तारी के लगभग 17 वÂाों के लम्बे जेल जीवन ने डॉ. गया प्रसाद कटियार से घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों की कई जेलों में रखा, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कोलकाता, बेल्लारी, राजमहेंदरी, सहारनपुर, नैनी, सुल्तान, लखनऊ, कानपुर और यहां तक कि अंडमान-निकोबार द्वीप की सेलुलर जेल भी शामिल है, जिसमें वे सात वÂाों तक रहे और अपने 400 साथी बंदियों के साथ मिलकर उन्होंने 46 दिनों की भूख हड़ताल की जो उस समय का विश्व रिकार्ड था। उसके बाद वÂर्ष 1930 में लाहौर की जेल में उन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के कारण सेलुलर जेल में राजनीतिक बंदियों के लिए बी-क्लास का निर्माण हुआ, जिससे कांग्रेस के बंदियों को भी यह सुविधा मिलने लगी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारी बंदियों को यह सुविधा नहीं दी।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमांड रखिए, इतना लम्बा भाÂाण मत कीजिए। अगर मैं आपको बोलने के लिए मना कर दूंगी तो आपकी डिमांड रह जाएगी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): अध्यक्ष महोदया, 10 फरवरी 1993 को यह योद्धा सदा-सदा के लिए सो गया। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदानों से ही आने वाली पीढ़ियों को आजादी के महत्व का पता चलता है। मेरा मेरी सरकार से आग्रह है कि उनके योगदान को, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए उनका " डाक टिकट " जारी करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री सी.पी. जोशी, श्री रेड्डमत नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : ज़ीरो ऑवर लम्बे भाÂाण के लिए नहीं होता है।